R-03-PBR/16

:: कार्यालय कलेक्टर, जिला–खण्डवा ::

क्रमांक / 15 527 / वाचक.कले. / 2015 खण्डवा, दिनांक 15 / 12 / 2015.

प्रति,

1139

प्रवाचक,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषयः– राजस्व प्रकरण क्रमांक 01–अ–20(1) / 2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के पुनर्विलोकन हेतु प्रदान की गई अनुमति के परिप्रेक्ष्य में मान0 उच्च न्यायालय,म.प्र.जबलपुर व्दारा दिए गये आदेशानुसार पुनः सुनवाई किए जाने हेतु प्रकरण भेजने बाबत्।

000

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि नजूल प्रकरण क्रमांक 01–अ–20(1) / 2010–11 शंकरलाल पिता लधाराम, निवासी पदमकुण्ड वार्ड, खण्डवा में पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के पुनर्विलोकन की अनुमति म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 (एक) के तहत आपके व्दारा आदेश दिनांक 18.11.2015 अनुसार प्रदान की गई है।

2– पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 18.11.2015 के विरुद्ध आवेदक शंकरलाल पिता लधाराम व्दारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिनांक 02.12.2015 को आदेश पारित कर, राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 को निरस्त कर, पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 06.01.2016 नियत की गई है। (मान. उच्च न्यायालय व्दारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है)

3– उक्त के परिप्रेक्ष्य में मूल राजस्व प्रकरण क्रमांक 01–अ–20(1) / 2010–2011 शंकरलाल पिता लधाराम, निवासी पदमकुण्ड वार्ड, खण्डवा पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया सुनवाई पश्चात प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को वापिस करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(एम.के.अग्रवाल)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा

Panchayat Apeel.doc

R-03-PBR/16

शंकरलाल / शासन

7.1.2016

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 20291/2015 में पारित आदेश दिनांक 2.12.2015 के पालन में मूल पुनर्स्थापन प्रकरण क्रमांक निग 7038-PBR/15 में कार्यवाही की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया है। अतः इस प्रकरण में सुनवाई का औचित्य नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष